स्त्रमेन जयते टिका The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II--Section 3--Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1116] No. 11161

नई दिल्ली, बुधवार, मई 27, 2015 /ज्येष्ठ 6, 1937

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 27, 2015/JYAISTHA 6, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो)

आदेश

नई दिल्ली, 25 मई, 2015

का.आ. 1414(अ).—विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी अधि नियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा सुश्री अर्चना पांडेय तिवारी, संयुक्त सचिव, भारत सरकार को उक्त धारा के प्रयोजन के लिए विशेष रूप से अधिकार प्रदान करती है।

> [फा. सं. 671/18/2001-कस्टम्स-VIII] नीलेश गुप्ता सहायक महानिदेशक (कोफेपोसा)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL ECONOMIC INTELLIGENCE BUREAU)

ORDER

New Delhi, the 25th May, 2015

S.O. 1414(E).—In exercise of the power conferred by Sub-section(1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974), the Central Government hereby specially empowers Ms. Archana Pandey Tiwari, Joint Secretary to the Government of India, for the purpose of the said Section.

[F. No. 671/18/2001-Cuss.-VIII]

100

NILESH GUPTA, Asstt. Director General (Cofeposa)